

पंजीकृत

प्रेषक,

रजिस्ट्रार
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र०
'धन्वन्तरि भवन' 7- लालबाग, लखनऊ

सेवा में,

श्री अशोक कुमार
458 अमर माया एनक्लेब
चौदपुर रोड, बुलन्दशहर

पत्रांक 359 / बोर्ड - रजि०-सा०प्रशा०/23

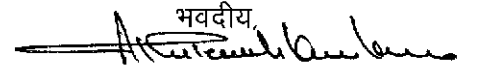
लखनऊ : दिनांक 16-02-23

विषय :- नेचुरोपैथी एवं योगा प्रचार प्रसार, शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा की जानकारी के संदर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 570/आइएनएफओ/बीएनएसएम/2023 दिनांक 27-01-2023 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि :-

- 01- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार / उ०प्र० सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा पद्धतियों को मान्य चिकित्सा पद्धति घोषित किया गया है ।
- 02- प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा पद्धति का पाठ्यक्रम निर्धारण , संस्थाओं की मान्यता एवं सम्बद्धता हेतु अद्यावधिक केन्द्रीय अधिनियम / केन्द्रीय परिषद गठित नहीं है ।
- 03- उ०प्र० में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सकों के पंजीयन हेतु पृथक से कोई बोर्ड गठित नहीं है , और न ही यू०पी०इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 में उक्त चिकित्सा पद्धति का विषय ही सम्मिलित है ।
- 04- प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में राज्य अधिनियम / नियम न बने होने कारण उक्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यास/प्रचार प्रसार हेतु कोई दिशा निर्देश बोर्ड द्वारा निर्गत किया सम्भव नहीं है ।

भवदीय,

(डा० अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार